संख्या:8/2024/166ई-2/तेरह-2024-1788700

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 23 फरवरी, 2024

विषयः-मेसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., ग्राम मोहम्मदगंज, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद में 150 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 495 लाख ब.ली. क्षमता की ग्रेन पर आधारित औद्योगिक आसवनी स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:-जी-136/दो-प्रा.डी.-274/पशुपति एक्रीलोन मुरादाबाद, दिनांक 03-02-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 21-02-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-162ई-2/तेरह-2024-1788700, दिनांक 22-02-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 03-02-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्तराज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगतसंयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा 17 एवं 18, उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमवली, 2019 एवं उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी स्थापना) (पन्द्रहवां संशोधन) नियमवली, 2020 के अनुसार औद्योगिक आसवनी स्थापना एवं ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के क्रम मेंमेसर्स पशुपति एक्रीलोन लि., ग्राम मोहम्मदगंज, तहसील ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद को 150 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 495 लाख लीटर वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता की अनाज पर आधारित औद्योगिक आसवनी, जिसके अन्तर्गत अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, को स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) इकाई द्वारा ग्रेन से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 33/2021-810 ई-2/तेरह-2021-107/2013 दिनांक 26-03-2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वनएवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषणनियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगतअधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्वप्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्रेन से अब्सोल्यूट/एनहाइड्रस अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु इकाईद्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्यपदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करनेएवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जानेहेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र.शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग वपशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिकआवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालनप्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(4) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.)का अनुपालन एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर्राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्यएवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:8/2024/166(1)एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन।
(8) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।